राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 5(31)कार्मिक / क–2 / 84 जयपुर, दिनांकः 31.01.2020

1. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न राजकीय सेवाओं में आरक्षण के संबंध में।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती में आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर (अर्थात् ग्रेड पे–3600 / – तक) के पदों पर कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान विविध अधीनस्थ सेवा नियमों, मंत्रालयिक सेवा नियमों एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम में किया गया है। खिलाड़ियों को देय आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होने के कारण चयन की स्थिति में उत्कृष्ट खिलाडी को उसी प्रवर्ग में समायोजित किया जाता है, जिससे वह सम्बन्धित होता है।

इस संबंध में आपका ध्यान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 की ओर आकर्षित किया जा रहा है जिसके द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करने में राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी "उत्कृष्ट खिलाडी" (Outstanding Sports Person) की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों को व्यादिष्ट किया जाता है कि आगामी भर्तियो में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण देने हेतु अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अद्यतन प्रावधान सहित सम्बन्धित नियमों की कठोरता से पालना करावें, जिससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में अधिकाधिक नियुक्तियाँ प्रदान की जा सकें।

(रोली सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव

11/2020